

भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार

नीलामी-सूचना

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार में होने वाली निम्नलिखित पशुओं की नीलामी दिनांक **20.06.2024** को सुबह 10.30 बजे होगी: दूध वाली भैंस 5, शुष्क भैंस 10, झोटी व कट्डी-32 झोटे व कट्ड़े: 14 दिनांक 18-19, जून 2024 को सुबह 9.30 बजे से सांय 3.00 बजे तक संस्थान में नीलामी वाले पशुओं को देखा जा सकता है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता 10,000/-रूपये की धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/नकद अथवा संस्थान के खाते में दिनांक 18-19, जून 2024 को सुबह 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक जमा करवाकर हिस्सा ले सकेंगे। धरोहर राशि जमा करवाने का अंतिम समय दिनांक **19.06.2024** को सांय 4.00 बजे तक का है। अन्य शर्तें तथा पशुओं का विवरण संस्थान की वैबसाईट www.cirb.icar.gov.in पर देखा जा सकता है। पशुओं की संख्या घट/बढ़ सकती है।

sd/-


सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार
भैंसों की नीलामी हेतु शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता अपने आधार कार्ड की प्रति व 10000/-रूपये प्रति पशु की धरोहर राशि जमा करवाकर हिस्सा ले सकेंगे। जिसने धरोहर राशि जमा करवाई है उसी व्यक्ति को संस्थान में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
2. एक धरोहर राशि पर एक ही पशु छुड़वाया जा सकता है। यदि बोलीदाता अधिक पशु लेने का इच्छुक हो तो 10000/- प्रति अतिरिक्त पशु धरोहर राशि और जमा करवानी होगी।
3. दिनांक **20.06.2024** को सुबह **10.30 बजे** होने वाली नीलामी के पशुओं को संस्थान में दिनांक **18-19, जून 2024** को सुबह 9.30 बजे से सांय 3.00 बजे तक देखा जा सकता है।
4. पशुओं की नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता दिनांक **18-19, जून 2024** को सुबह 10 बजे से सांय 4.00 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट/नकद अथवा संस्थान के खाते में ऑनलाइन धरोहर राशि जमा करवा कर हिस्सा ले सकते हैं।
5. बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि जो कि आर.टी.जी.एस./ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उनके बैंक खाते में ही वापिस की जायेगी। बोलीदाता द्वारा नकद जमा धरोहर राशि उनको उसी दिन बोली समाप्त होने के पश्चात नकद वापिस कर दी जायेगी।
6. धरोहर राशि जमा करवाने का अंतिम समय दिनांक **19.06.2024** को सांय **4 बजे तक** है।
7. ऑनलाईन जमा राशि का विवरण दिनांक **19.06.2024** को सांय **4.30 बजे तक** संस्थान को यू.टी.आर. के विवरण व आधार कार्ड की प्रति सहित ईमेल (purchase.cirb@icar.gov.in) के माध्यम से अवगत करवाना अनिवार्य है।
8. बोलीदाता को संलग्न फोरमैट में अपना बैंक का विवरण भी देना अनिवार्य है।
9. बोलीदाता जिन्होंने ऑनलाईन धरोहर राशि संस्थान के खाते में जमा करवाई है वे ऑनलाईन जमा किये गये विवरण की एक प्रति व अपना आधार कार्ड की प्रति दिखा कर दिनांक **20.06.2024** को सुबह 9.30 बजे रसीद/पर्ची बोली में भाग लेने हेतु कार्यालय से ले सकते हैं।
10. यदि बोलीदाता के नाम से कोई पशु छूटता है तो बोली दी गई कीमत को 5 दिन के अन्दर डिमांड ड्राफ्ट अथवा संस्थान के खाते में RTGS/NEFT/नकद जमा करवाने होंगे। संस्थान के खाते का विवरण निम्नलिखित है:

Name of Bank: SBI, NGM, Hisar, A/c No. 10440797010, IFSC Code: SBIN0005700

11. यदि पशु बोली से 5 दिन के अन्दर नहीं ले जाया जायेगा तो 300/- प्रति दिन प्रति पशु अतिरिक्त चार्ज लिया जायेगा जो अधिकतम 10 दिन तक मान्य होगा।
12. यदि 10 दिन के बाद तक बोलीदाता पशु ले जाने में असमर्थ रहता है तो बोली रद्द समझी जायेगी व जमा की गई धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. नीलामी में पशु छुड़वाने पर पूरी राशि जमा करवाने के उपरान्त पशु को बाहर ले जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी से गेट पास लेना होगा। गेट पास तथा पशु के कान का नंबर अंकित रसीद पर होने से ही पशु बाहर ले जाने दिया जायेगा।
14. पशु जहाँ है जैसा है के आधार पर बोली की जायेगी कोई फेर बदल मान्य नहीं होगा।
15. ताजा ब्याही भैंस के साथ उसका नवजात कटड़ा/कटड़ी उसी स्थिति में दिया जायेगा जब वह नीलामी सूची में दिखाया गया होगा।
16. पशुओं की संख्या घट/बढ़ सकती है।
17. किसी भी पशु को अन्तिम बोली पर छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार कमेटी का होगा।
18. बोली में पशु छुड़वाने व बोली की पूरी कीमत जमा करवाने के बाद पशु को गाड़ी में लोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
19. पशु को गाड़ी में लोड करने की जिम्मेवारी बोली दाता की होगी।
20. कोरोना महामारी के कारण सभी बोलीदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखेंगे। सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे मास्क अपने स्तर पर पहनना सुनिश्चित करेंगे।
21. कमेटी द्वारा पशु की नीलामी छोड़ने के बाद किसी भी बोली को स्वीकार अथवा रद्द करने तथा किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास आरक्षित है जो सर्वमान्य होगा।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी 28/5/2024

पशुओं की नीलामी के लिए जमा धरोहर राशि वापिस लेने हेतु खाताधारक के बैंक का विवरण जिसमें धरोहर राशि वापिस की जायेगी।

खाता धारक का नाम	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
आई.एफ.एस.सी. कोड	

नोट—बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि उनके द्वारा दी हुई बैंक खाते में ही वापिस की जायेगी।